

24/6/2016

13/12/2018

में पारित निर्णय दि. 24/6/2016 के विरुद्ध
 में अपील पेश होने पर, इस न्यायालय
 द्वारा अपील सं. 448/14 में दिनांक 09/12/2015
 को निर्णय पारित कर अपील खारिज की जा
 चुकी है। अपीलान्त में अभिप्राय के लिये को
 दिखाने पर, अपील पेश की गयी है, जो
 पोषण्य नहीं केकर खारिज योग्य है। अतः
 अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील शुद्धस्वरूप प्रस्तुत
 नहीं कीये जाये। अपील खारिज की जाये
 है। अभिप्राय के लिये दिखाने में जाये
 है कि अविलम्ब में अपीलान्त नहीं को
 अपील अपीलान्त यानि अपीलान्त है।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official